निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 460) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

11 मार्च 2015

सं0 22/नि0सि0(मुज0)–06–05/2009/620—श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर के पद पर पदस्थापित थे तो उनके विरूद्ध बागमती प्रमंडल, शिवहर के अधीन वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 बाढ़ अवधि में बागमती नदी के तटबंधों के विभिन्न आक्रम्य बिन्दुओं पर कराये गये कार्य के भुगतान में बरती गई अनियमितता से संबंधित निम्नांकित प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0 685 दिनांक 22.04.10 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(i) विभागीय बेतार संख्या–10/मु0–01(मु0) 32/07–81 दिनांक 21.01.2009 द्वारा दिये गये विभागीय निदेश के विपरीत श्री रामाधार साह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में दावे की राशि को सही मानते हुए विभाग द्वारा बिना अनुमोदन के प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया। जिससे विभाग को रू0 92,467.82/– की आर्थिक क्षति हुई।

(ii) विभागीय निदेश की अवहेलना।

उपरोक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी के रूप में प्रधान सचिव सह अपर विभागीय जॉच आयुक्त, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राप्त कराये गये जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध विभाग से बिना तथ्य कथन विवरणी अनुमोदित कराये प्रतिशपथ पत्र दायर करने के फलस्वरूप विभाग को 25,690/– रूपये की क्षति पहुँचाने तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के आरोप को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 979 दिनांक 10.09.2012 द्वारा श्री श्रीधर बासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर को निम्न दण्ड से संसूचित किया गया।

(i) श्री श्रीधर वासुदेव के वेतन से सरकार को हुई रूपये 25,690/– की एक मुश्त वसूली।

(ii) कालमान वेतन के एक प्रक्रम के नीचे आदेश निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए अवनति।

उक्त दण्ड के आलोक में श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर ने अपने पत्रांक– शून्य दिनांक 11.10.12 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी विभाग में समर्पित किया गया जिसमें मुख्यतः निम्न बातें कही गई।

विभागीय पत्रांक 1507 दिनांक 16.12.2009 द्वारा आरोप पत्र (प्रपत्र–'क') संलग्न करते हुए स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश प्राप्त हुआ था। जिसके आलोक में पत्रांक 267 दिनांक 10.03.2010 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उपरोक्त दोनों पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि वस्तुस्थिति पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय नहीं लिया गया। पत्र के गहन अवलोकन से स्पष्ट होगा कि दावे की राशि 2,04,516.82/– रूपये जिसका आवंटन प्राप्त होने के पश्चात भी गहन जॉच के बाद रू0 1,37,739/– मात्र ही भुगतान किया, इस प्रकार बिना किसी औचित्य एवं आधार के पहले रू0 92,467.82/– आर्थिक क्षति एवं बाद में मात्र रू0 25,690/– की वसूली संसूचित किया गया है। यहॉ यह भी स्पष्ट कहना है कि मामले के दौरान या आवंटन उपलब्ध कराने के समय इस संबंध में कोई विभागीय निदेश नहीं दिया गया। आवंटन विभागीय पत्रांक 21 दिनांक 18.04.2009 के बहुत बाद विभागीय पत्रांक 1507 दिनांक 16.12.2009 को बिना आधार के रू0 92,467.82/– के विभाग के क्षति का आरोप विरोधाभाषपूर्ण एवं उचित प्रतीत नहीं होता है। समीक्षा से यह स्पष्ट होगा कि मेरे द्वारा न तो विभाग को कोई क्षति पहुँचाया गया एवं न ही निदेश की अवहेलना की गई।

श्री श्रीधर वासुदेव से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई जिसमें निम्न तथ्य पाये गये।

संवेदक श्री रामाधार सिंह द्वारा बागमती प्रमंडल, शिवहर के अधीन वर्ष 2004, 2005 एवं 2006 बाढ़ अवधि में बागमती के दांये तटबंध के विभिन्न आक्रम्य स्थलों पर कुल राशि 2,64,618.32/– रूपये का कराये गये बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों के दावे के विरूद्ध 60,102/– रूपये का भुगतान किया गया। शेष राशि 2,04,516.82/– रूपये के भुगतान के लिए श्री रामाधार सिंह (संवेदक) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 8000/2007 दायर किया गया।

प्रतिशपथ पत्र दायर करने के क्रम में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने पत्रांक 4352 दिनांक 27.12.2008 से तथ्य कथन विवरणी अनुमोदन हेतु विभाग को समर्पित किया गया है। जिसमें कार्यपालक अभियंता द्वारा अंकित किया गया है कि प्रमंडलीय आंकड़ों यथा मापपुस्त के अनुसार अभिकर्ता द्वारा रू0 2,64,618.32/– का कार्य कराया गया है। जिसके विरूद्ध 60,102/– रूपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष रू0 2,04,516.82/– का भुगतान आवंटन के अभाव में लंबित है। आरोप पत्र के संदर्भित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभागीय स्तर पर संवेदक द्वारा कराये गये कार्य के समीक्षोपरान्त संवेदक के दावे की राशि 2,64,618.82/– रूपये के विरूद्ध कार्य की कुल राशि 1,72,152.00/– रूपये पाया गया। इस संबंध में संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) के द्वारा वितन्तु संवाद सं0 81 दिनांक 21.01.09 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि आपके द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक विवरणी त्रुटिपूर्ण है। जिसे कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर को अपने कार्यालय अभिलेख से मिलान करने हेतु निदेशित किया गया। उपर्युक्त परिपेक्ष्य में कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर, बाढ़ मोनिटरिंग से सम्पर्क स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करेंगे। मुख्य अभियंता ने उक्त वितन्तु संवाद संख्या अपने पत्रांक 146 दिनांक 21.01.2009 द्वारा अधीक्षण अभियंता, सीतामढ़ी एवं कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर को इस निदेश के साथ प्रेषित किया गया कि विभागीय निदेशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर अविलम्ब अवगत करावें। किन्तु कार्यपालक अभियंता ने तथ्यात्मक विवरणी का विभागीय अनुमोदन कराने हेतु त्रुटि के निराकरण के दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं विभागीय अनुमोदन की प्रतीक्षा किये बिना ही बिना अनुमोदित तथ्य कथन विवरणी को उक्त याचिका में दिनांक 18.02.2009 के संवेदक के दावे की राशि को सही मानते हुए प्रतिशपथ पत्र दायर कर दिया गया।

श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र के आलोक में दिनांक 21.02.09 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय पारित किया गया, जिसमें एक माह के अन्तर्गत अभिकर्ता को मान्य बकाया 2,04,516.82/– रूपये का भुगतान किये जाने का निर्णय है। श्री वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में स्वीकार किया गया है कि प्रमंडल द्वारा तैयार तथ्यात्मक विवरणी पर उचित माध्यम से मुख्य अभियंता के पत्रांक 4352 दिनांक 27.12.2008 द्वारा विभाग के स्तर से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था एवं अनुमोदित शपथ पत्र की प्रतीक्षा किया जा रहा था किन्तु पटना उच्च न्यायालय के स्थायी सलाहकार–11 से प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु दवाब दिया जा रहा था। अतः उक्त परिस्थिति में प्रमंडल में उपलब्ध रेकर्ड इन्ट्री यथा मापीपुस्त में अंकित कार्य एवं उसके विरूद्ध रेकार्ड किये गये विपत्र की राशि एवं प्रमंडल द्वारा प्रपत्र–24 में निधि आवंटन हेतु दर्शायी गई राशि के अनुरूप एक प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया।

अतः श्री वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा जो प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया उसमें न विभाग का अनुमोदन है एवं न नहीं मुख्य अभियंता अथवा अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन प्राप्त किया गया। जहॉ तक आरोपी पदाधिकारी का कथन कि विभागीय वितन्तु संवाद संख्या 81 दिनांक 21.01.09 उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता है। क्योंकि उक्त वितन्तु संवाद संख्या को मुख्य अभियंता ने अपने पत्रांक 146 दिनांक 24.01.2009 से कार्यपालक अभियंता को आवश्यक निदेश के साथ प्रेषित किया गया है। अगर श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता की मंशा साफ होती तो शपथ पत्र दायर करने के पूर्व अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता से विचार विमर्श जरूर करते। जहॉ तक श्री राधा राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता एवं श्री रामोचित रजक, तत्कालीन मुख्य अभियंता को आरोप मुक्त करने का प्रश्न है तो ज्ञातव्य है कि इन दोनों पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया था एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा इन दोनों पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध एक न्यायिक मामले में दावे की राशि को सही मानते हुए विभाग से बिना तथ्य कथन विवरणी अनुमोदन कराये ही

प्रतिशपथ पत्र दायर करने के फलस्वरूप विभाग को कुल रू0 25,690/– की आर्थिक क्षति पहुँचाने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने के आरोप को प्रमाणित पाते हुए पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करते हुए विभागीय पत्रांक 979 दिनांक 10.09.12 द्वारा निर्गत दण्डादेश को यथावत रखने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय श्री श्रीधर वासुदेव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, शिवहर, सम्प्रति सेवानिवृत ग्राम– गोपेश्वर नगर, पो0– छपरा, जिला–छपरा को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 460-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in